प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2012-13 से 2014-15 में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत टीडीएस/टीसीएस योजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु नवम्बर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-राजस्व विभाग से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।